भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1586
दिनांक 10.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में मृत्यु संबंधी आंकड़े

1586. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार के पास विदेशों में रहने वाले भारतीयों की मृत्यु के प्रमुख कारणों का कोई आंकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं:

(ग) क्या विगत तीन वर्षों में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के विरुद्ध घृणा अपराधों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं:

(ड.) क्या सरकार को विदेशों में रहने वाले उन भारतीय नागरिकों से सहायता का अनुरोध करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है और इन चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिकांश मौतें वृद्धावस्था, बीमारियों आदि जैसे प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। कुछ मौतें यातायात दुर्घटनाओं, व्यावसायिक खतरों/दुर्घटनाओं, हिंसा, आत्महत्या आदि के कारण हुई हैंI पिछले तीन वर्षों के दौरान 24,278 भारतीय प्राकृतिक कारणों से, 1,622 यातायात दुर्घटनाओं से, 686 व्यावसायिक खतरों/दुर्घटनाओं से, 1,763 आत्महत्या से और 136 हिंसा/हत्या से मारे गए हैं।

(ग) से (च) विदेशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा और हिफाजत भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। हमारे मिशन और केंद्र हमेशा सतर्क रहते हैं और ऐसी किसी भी अप्रिय घटना पर कड़ी नजर रखते हैं। इस तरह की घटनाओं को तुरंत मेजबान देश के संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मामलों की ठीक से जांच की जा सके और अपराधियों को दंडित किया जाए। इन मुद्दों को संबंधित देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान भी उठाया जाता है, जिसमें उपयुक्त उच्चतम स्तर भी शामिल हैं। सरकार विदेशों में बसे भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों के प्रति सतर्क रहती है और उनके हितों और कल्याण की हिफाजत के लिए सभी उपाय करती है।

सरकार को समय-समय पर भारतीय नागरिकों और/या उनके परिवार/रिश्तेदारों से उनके निवासी देशों में उनके समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में मदद के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को उनकी शिकायतों का अभ्यावेदन करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न चैनल उपलब्ध कराए हैं जिसमें कॉल, वॉक-इन, ई-मेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, 24x7 हेल्पलाइन, मदद पोर्टल और ओपन हाउस आदि शामिल हैं। जैसे ही किसी भारतीय मिशन/केंद्र को किसी भारतीय नागरिक के संकट में होने की सूचना मिलती है, वह इस मामले में तथ्यों का पता लगाने, उसकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि करने और उसका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तुरंत उस भारतीय नागरिक, स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय अधिकारियों, जैसा भी मामला हो, से संपर्क करता है।

विदेशों में बसे भारतीयों से संबंधित किसी भी मुद्दे को मिशनों/केन्द्रों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है और जब भी आवश्यकता होती है, संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और आवास/ भोजन सहित हर संभव कोंसली सहायता प्रदान की जाती है। विदेशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों में भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना योग्य मामलों में माली आधार पर संकटग्रस्त प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए की गई है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में भारतीय नागरिकों को कानूनी सहायता के साथ-साथ यात्रा दस्तावेजों/हवाई टिकटों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

*****